

मु० शांती नगरह

बनाम

सरकार

संख्यामुकदमा :- प्रार्थना पत्र

नं.

सन 2022

संबन्धित धारा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 86

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिषियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीलमेजारीहुए
24-02-2022	<p>यह प्रार्थना पत्र श्री रामचंद्रसिंह भाटी एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे पक्षकारान को नोटिश जारी हों। पत्रावली वास्ते आदेश आयन्दा दिनांक 28.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोलाकत जिला-बीकानेर</p> <p>28/04/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपाधित। हमने पूर्व प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 07.12.21 का अवलोकन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील शर्मा की एकरफा बहम समयतमी वकील शर्मा ने अफात करवाया कि पंजीकृत बैयनामों के निरस्त करने के लिए नियमित वाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पंजीकृत बैयनामा से खरीदशुदा भूमि को राजस्व रिन्ड में कम दर्ज किया गया। आदेश दिनांक - 07.12.2021 को रिव्यू किया जाकर निरस्त किया जावे। हमने विद्वान आनित्राषक की बहम पर मनन किया इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमंक 612 दिनांक 07.12.2021 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलाकत को पालनार्थ उपहित की जावे। पत्रावली प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर एम्ब जाहता दाखिल हुए रहती। निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोलाकत जिला-बीकानेर</p>	